

## राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

पत्र क्र./राशिके/NTSE-NMMSS/2022/112

भोपाल दिनांक 18/8/2022

प्रति,

- |  |   |
|--|---|
| 1. संयुक्त संचालक,<br>लोक शिक्षण संचालनालय<br>समस्त संभाग मध्यप्रदेश | 2. जिला शिक्षा अधिकारी<br>समस्त जिले मध्यप्रदेश   |
| 3. प्राचार्य डाइट,<br>समस्त जिले मध्यप्रदेश                          | 4. जिला परियोजना समन्वयक<br>समस्त जिले मध्यप्रदेश |

विषय—राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत चयन परीक्षा सत्र 2022-23 के आयोजन के संबंध में।

उपर्युक्त विषयांतर्गत दिनांक 06.11.2022 को NMMSS की परीक्षा का आयोजन किया जाना है। परीक्षा के विज्ञापन का प्रारूप एवं निर्देश संलग्न है। कृपया शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त/स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में NMMSS विज्ञापन/नियम पुस्तिका की एक-एक प्रति उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक छात्रों को आवेदन पत्र भरवाने हेतु संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/संकुल प्राचार्य को निर्देशित करें। आवेदन भरने की लिंक राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा सितम्बर माह में उपलब्ध करा दी जायेगी। संलग्न परीक्षा नियमपुस्तिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर निम्नलिखित कार्य अनिवार्य रूप से संपादित करें।

- परीक्षा के आवेदन पत्र हेतु कक्षा 7 वीं का प्रगति पत्रक, आय प्रमाण-पत्र (शपथ-पत्र)
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विकलांगता प्रमाण-पत्र की सत्यापित छाया प्रतियों सत्यापित कर पूर्व तैयारी कर लें।

कृपया अवगत होना चाहें कि आवेदन पत्र की निःशुल्क भरने की प्रक्रिया सितम्बर माह से प्रारंभ की जायेगी।

संलग्न :- NMMSS के निर्देश एवं विज्ञापन

(धनराज एस)

संचालक

राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

पृ क्र./राशिके/NTSE-NMMSS/2022/1113

भोपाल दिनांक 18/8/2022

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, समस्त जिले मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त जिले मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

संचालक

राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

**स्कूल शिक्षा विभाग**  
**राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, (म.प्र.)**  
**राज्य शिक्षा केन्द्र**

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462011  
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फ़ैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/रा.शि.के./NTSE-NMMSS/2022 1110

भोपाल दिनांक 18/8 /2022

**विज्ञापन**

**राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति हेतु चयन परीक्षा 2022-2023 (NMMSS)**

(मध्यप्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त/स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2022-23 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2008 में प्रारंभ की गई है। म0प्र0 राज्य के लिए निर्धारित छात्रवृत्तियों हेतु चयन परीक्षा 2022-23 दिनांक 06.11.2022 को आयोजित की जा रही है। चयनित विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी रूपये 12000/- के मान से कक्षा 9 वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति दी जाती है। नियमित छात्रवृत्ति हेतु कक्षा 9 वीं एव 11 वीं में न्यूनतम 55 प्रतिशत एव कक्षा 10 वीं में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक छात्रवृत्ति निरंतर जारी रहने हेतु प्राप्त करना अनिवार्य है। यह छात्रवृत्ति केवल शासकीय, शासकीय अनुदान प्राप्त एवं स्थानीय निकायों के विद्यालयों में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों के लिए है।

1. पात्रता- म.प्र. राज्य में स्थित केवल शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त/स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2022-23 में कक्षा 8 वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी ही इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने कक्षा 7 में कम से कम "C" ग्रेड प्राप्त किया है एवं जिनके अभिभावकों की राकल वार्षिक आय 3.50 लाख (रु. तीन लाख पचास हजार मात्र) से अधिक नहीं है।
2. पाठ्यक्रम- इस परीक्षा हेतु कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। प्रश्नों का स्तर कक्षा 7 वीं एवं 8 वीं की परीक्षा के समान होगा।
3. परीक्षा शुल्क- परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।
4. परीक्षा का माध्यम- परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी होगा।
5. आरक्षण- म.प्र. राज्य द्वारा निर्धारित कोटा अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त विद्यार्थियों हेतु जिलेवार आरक्षण का प्रावधान होगा।
6. परीक्षा का विवरण-


परीक्षा दिनांक व दिन	06.11.2022 (रविवार)
परीक्षा शुल्क	निःशुल्क

परीक्षा का समय :- प्रातः 10.45 से 12.30 तक (MAT हेतु )  
दोपहर 12.30 से 2.15 तक (SAT हेतु )

परीक्षा	अवधि	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अर्हता अंक	
				सामान्य वर्ग	अ.जा./अ.ज.जा. /निःशक्त वर्ग
मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT)	90 मिनट	90	90	40%	32%
शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)	90 मिनट	90	90	अर्थात् 72 अंक	अर्थात् 58 अंक

नोट – दोनों प्रश्नपत्रों के बीच विद्यार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

- मानसिक योग्यता के अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से प्रश्न समजातता, वर्गीकरण, श्रृंखला, आकृति, अवबोधन, छुपी हुई आकृतियों, कोडन-विकोडन, खंड समुच्चय समस्या सुलझाने आदि पर आधारित होंगे।
  - शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से 35 प्रश्न विज्ञान के, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के तथा गणित विषय के 20 प्रश्न होंगे।
7. इस परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑन लाइन ही स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी प्रकार मेन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 7.1 जाति प्रमाण पत्र एवं निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदक को सामान्य श्रेणी का माना जायेगा।
- 7.2 आय प्रमाण पत्र हेतु सकल वार्षिक आय का शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न करना अनिवार्य है जिसका प्रारूप नियम पुस्तिका के साथ संलग्न है।
- 7.3 आवेदन पत्र ऑनलाईन भरने की प्रक्रिया एवं प्रवेश पत्र की प्राप्ति की लिंक राज्य शिक्षा केन्द्र की वेबसाईट पर अवगत करा दी जायेगी।
8. पुनःपरीक्षण/पुनर्मूल्यांकन – इस परीक्षा हेतु पुनःपरीक्षण/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।
9. यात्रा भत्ता – परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र तक आने-जाने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जाएगा।
10. महत्वपूर्ण निर्देश
- 10.1 परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पहुंचे।
- 10.2 परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार की किताब या कापी, सेल्युलर, मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा किसी प्रकार का इलेक्ट्रानिक यंत्र आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- 10.3 सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।
- 10.4 इस परीक्षा हेतु कोई ऋणात्मक अंक नहीं हैं।
- 10.5 उत्तरशीट परीक्षा उपरांत पर्यवेक्षक के पास अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे।
- 10.6 परीक्षा हॉल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री – प्रवेश-पत्र, केवल काला/नीला बॉलप्याइंट पेन (जेल पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा।)

  
 (धनराज प्रसा) 12/08/2022  
 संचालक  
 राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

## राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल

राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति चयन परीक्षा 2022-2023 (NMMSS)

(मध्यप्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त/स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2022-23 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए)

### परीक्षा नियम पुस्तिका

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय- मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। म0प्र0 राज्य के लिए निर्धारित छात्रवृत्तियों हेतु चयन परीक्षा दिनांक 06.11.2022 को आयोजित की जा रही है। चयनित विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी, प्रतिवर्ष रूपये 12000/- के मान से कक्षा 9 वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति दी जाती है। नियमित छात्रवृत्ति हेतु कक्षा 9 वीं एवं 11 वीं में 55 प्रतिशत अंक एवं कक्षा 10 वीं में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यह छात्रवृत्ति केवल शासकीय विद्यालय, अनुदान प्राप्त विद्यालय, स्थानीय निकाय विद्यालय के नियमित विद्यार्थियों के लिये ही है।

1. पात्रता- म.प्र. राज्य में स्थित केवल शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त/स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2022-23 में कक्षा 8वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी ही इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने कक्षा 7वीं में कम से कम "C" ग्रेड प्राप्त किया है एवं जिनके अग्रिभादकों की सकल वार्षिक आय 3.50 लाख (रु. तीन लाख पचास हजार मात्र) से अधिक नहीं है।
2. आरक्षण- म.प्र. राज्य द्वारा निर्धारित कोटा अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग विद्यार्थियों हेतु जिलेवार आरक्षण का प्रावधान होगा। केवल मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी ही आरक्षण के पात्र होंगे। अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के रूप में विचारित किये जायेंगे। निःशक्तजन अंतर्गत अस्थिबाधित, श्रवणबाधित एवं दृष्टिबाधित तीनों वर्ग के 40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता के अभ्यर्थी ही आरक्षण हेतु पात्र होंगे। स्वयं के नाम का जाति प्रमाणपत्र एवं निःशक्तजन प्रमाणपत्र आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

### 3. परीक्षा की तिथि -

परीक्षा दिनांक व दिन	06.11.2022 (रविवार)
परीक्षा शुल्क	निःशुल्क

### 4. परीक्षा का विवरण

परीक्षा प्रश्न पत्र	अवधि	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अर्हत अंक	
				सामान्य वर्ग	अ.जा./उ.जा.जा / विकलांग वर्ग
मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT)	90मिनट	90	90	40%	32%
शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)	90मिनट	90	90	अर्थात् 72 अंक	अर्थात् 58 अंक

- छात्रों को कक्षा 7 वीं में कम से कम 55/- प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 5 प्रतिशत छूट होगी।
  - मानसिक योग्यता परीक्षण-इसके अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में समजातता, वर्गीकरण, श्रृंखला, आकृति, अवबोधन, छुपी हुई आकृतियों, कोडन-विकोडन, खंड समुच्चय, समस्या सुलझाने आदि पर आधारित प्रश्न होंगे।
  - शैक्षिक योग्यता परीक्षण-इसके अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से 35 प्रश्न विज्ञान के, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान तथा गणित विषय के 20 प्रश्न होंगे।
- 5 पाठ्यक्रम-इस परीक्षा हेतु कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। प्रश्नों का स्तर कक्षा 7 वीं एवं 8 वीं की परीक्षा के समान होगा।

6 समय सारणी-

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा का नाम	परीक्षा प्रश्नपत्र	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जॉनकारिया भरने का समय	प्रश्न-पत्र वितरण समय	प्रश्न-पत्र वितरण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
06 11 2022 (रविवार)	राष्ट्रीय मैन्युअल-कॉम्प्यूटिंग परीक्षा छात्रवृत्ति चयन परीक्षा	मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT)	प्रातः 10.45 बजे से	प्रातः 10.45	प्रातः 10.45 से 10.55 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10.55 बजे	प्रातः 10.55 से 11.00 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 11.00 से 12.30 बजे तक (कुल डेढ़ घण्टा)
		शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)	दोपहर 12.30 बजे से	दोपहर 12.30 से	दोपहर 12.30 से 12.40 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 12.40 बजे	प्रातः 12.40 से 12.45 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 12.45 से 02.15 बजे तक (कुल डेढ़ घण्टा) 2.45 तक दृष्टिबाधित के लिए

7 आवेदन की प्रक्रिया:-

- 7.1 इस परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑन लाइन ही स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी प्रकार मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। परीक्षा के आवेदन पत्र संकुल प्राचार्य के द्वारा (दस्तावेजों की प्रमाणित छाया प्रतियां, जैसे-कक्षा 7वीं का प्रगति पत्रक, आय प्रमाण पत्र (शपथपत्र) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांगता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति भी संघारित की जाएगी), सत्यापित कर ही ऑन लाईन भरे जायेंगे।
- 7.2 जाति प्रमाण पत्र एवं निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदक को सामान्य श्रेणी का माना जायेगा।
- 7.3 NMMSS परीक्षा का परिणाम घोषित होने के उपरांत अर्हता घोषित किए गए विद्यार्थी का आवेदन पत्र जो पूर्व निर्देश अनुसार संकुल प्राचार्य कार्यालय में सुरक्षित रहेगा। विहित आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा संबंधित छात्र के निकटतम भारतीय स्टेट बैंक (SBI) या

राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गए बचत खाते एवं बैंक शाखा के आई.एफ.एस.सी. कोड इत्यादि की सही जानकारी एवं पासबुक से संबंधित पृष्ठ की छायाप्रति सहित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनिवार्यता जमा करे, जहाँ इसे छात्रवृत्ति अवधि में (4 वर्ष तक) सुरक्षित रखा जावेगा। आवश्यकता पडने पर बरिष्ठ कार्यालय को उपलब्ध करवायेगे।

- 7.4 आय प्रमाण पत्र हेतु सकल वार्षिक आय का शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में सलग्न करना अनिवार्य है जिसका प्रारूप नियम पुस्तिका के साथ सलग्न है।
  - 7.5 आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी में किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा।
  - 7.6 ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कपी के साथ लगाया जाने वाला फोटोग्राफ रंगीन व साईज 3 5x 4.5 से. मी. का होना चाहिये, जिसकी गुणवत्ता अच्छी होना चाहिये। पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।
  - 7.7 आवेदन पत्र की हार्ड कपी पर निर्धारित स्थान पर नवीनतम फोटोग्राफ चस्पा किया जाना चाहिए।
  - 7.8 काले चश्मे के साथ खिचा हुआ फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। यदि पढने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिचवाया जाना होगा।
  - 7.9 आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर किये जाने चाहिए।
  - 7.10 आवेदन पत्र में लघु हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
  - 7.11 अंग्रेजी के कैपिटल लैटर में हस्ताक्षर नहीं किये जाने है।
  - 7.12 आवेदन पत्र में एक से अधिक हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए।
  - 7.13 आवेदन पत्र में हस्ताक्षर पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए।
- 8 परीक्षा का माध्यम – परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी होगा।
  - 9 परीक्षा शुल्क – इस परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।
  - 10 पुनःपरीक्षण/पुनर्मूल्यांकन– इस परीक्षा हेतु पुनः परीक्षण/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।
  - 11 यात्रा भत्ता– परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र तक आने-जाने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जाएगा।
  - 12 महत्वपूर्ण निर्देश –
    - 12.1 परीक्षा प्रारम्भ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पहुंचना अनिवार्य है।
    - 12.2 परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट बाद तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
    - 12.3 परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एन.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।

- 12.4 परीक्षा कक्ष में किताब या कापी, सेल्युलर, मोबाईल फोन, कैल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- 12.5 परीक्षा हॉल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री:- प्रवेश-पत्र, केवल काला/नीला बॉलप्वाइंट पेन। जेल पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा।
- 12.6 सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर होंगे जिनमें से एक सही होगा।
- 12.7 इस परीक्षा हेतु कोई ऋण/ऋण/ऋण अंक नहीं है।
- 12.8 प्रश्नपत्रों के बीच छात्रों को कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी।

### 13 परीक्षा केन्द्र :-

परीक्षा मध्यप्रदेश के 52 जिले के ब्लॉक मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। किसी परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर उसे परिवर्तित/निरस्त किया जायेगा।

### 14 अनुचित साधन:- निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन के अंतर्गत माना जावेगा -

- 14.1 परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।
- 14.2 अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
- 14.3 परीक्षा के दौरान चिल्लाना, ढोलना, कानाफूँसी करना, इशारे करना या अन्य प्रकार से सम्पर्क साधना।
- 14.4 अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्न पुरतिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।
- 14.5 अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्न-पुरतिका की अदला-बदली करना।
- 14.6 परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार कि किताब या कापी, सेल्युलर, मोबाईल फोन, कैल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है, इनमें से कोई भी सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।
- 14.7 नकल प्रकण से सर्वाधिक दस्तावेजों/प्रश्नों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
- 14.8 सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
- 14.9 सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
- 14.10 परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।

उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौंपा जायेगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा।

15. मूल्यांकन पद्धति :- वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

16. लिखित परीक्षा में निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ:-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सक (शासकीय) के प्रमाणीकरण एवं सिविल सर्जन के प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के आधार पर निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :-

16.1 यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

- 16.1.1 दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रलपल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
- 16.1.2 मानसिक रूप से अस्तम (स्पैस्टिक) डिस्लेक्सिक और पर्सनस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
- 16.1.3 ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो।
- 16.1.4 दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो।

16.2 प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे NCERT के नियमानुसार 30 मिनट की अतिरिक्त समय की पात्रता होगी।



16.3 लेखन लिपिक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

16.3.1 लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का होना चाहिए।


16.3.2 लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी यथा लेखन लिपिक का नाम पिता का नाम

अध्ययनरत शाला एवं अध्ययनरत कक्षा का संबंधित सस्था प्रधान अध्यापक द्वारा प्रमाणीकरण अभ्यर्थी द्वारा संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष को प्रस्तुत कर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगी।

16.4 इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ:-

16.4.1 परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाएँ मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए राज्य शिक्षाकेन्द्र द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जायेगा।

16.4.2 ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

  
(धनराजू एस) 2/8/22  
संचालक  
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल